पृष्ठभूमि

सुशासन की ओर कदमः राजनीति में पैसे के प्रवाह को पारदर्शी बनाना

एक जीवंत लोकतंत्र का सबसे बड़ा पैमाना यह होता है कि वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराये जा रहे हों अथवा चुनावों में सभी उम्मीदवारों और राजनैतिक दलों को एक जैसा दर्जा मिले। इस स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल को बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि राजनीति में लिप्त धन में पारदर्शिता बरती जाए अथवा राजनीतिक दल अपने चंदे और खर्चे के प्रति जवाबदेह हों।

परन्तु राजनीतिक दलों द्वारा घोषित चंदे (रू. 20,000 से उपर मिलने वाले) की रिपोर्ट के अधार पर यह पाया गया है कि दलों को मिलने वाला 75 प्रतिशत चंदा अज्ञात स्रोतों से है। क्योंकि अब तक राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं है इसलिए दल चुनाव के दौरान पूरी आज़ादी के साथ धनबल का प्रयोग करते हैं। इस स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को भी यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि ''...कानून के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करके काले धन के इस प्रकार नग्न प्रर्दशन को अनुमती नही दी जा सकती''*।

काले धन का चुनाव में प्रभाव का एक बड़ा उदाहरण यह भी है कि 2014 लोकसभा चुनावों के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने रू. 331 करोड़ नगद केश, 225 लीटर शराब और 1.85 किलोग्राम नशीले पदार्थ पूरे देश भर से ज़ब्त किये।

राजनीतिक दलों द्वारा घोषित चुनाव खर्चों में पिछले दशक में तेज़ी से वृद्धि हुई है। 2004 और 2014 लोकसभा चुनाव के बीच में राष्ट्रीय दलों द्वारा एकत्रित धनराशि में 418 प्रतिशत की वृद्धि अथवा उनके द्वारा किए गए खर्च में 386 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एन.सी.पी और सी.पी.आई के द्वारा प्राप्त कुल चंदे में पिछले वर्ष की तुलना में 158 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। यह गौरतलब है कि चंदे की राशि दलों की कुल वार्षिक आय का मात्र 8.9 प्रतिशत है (इस कुल आय का 75 प्रतिशत धन अज्ञात स्रोतों से आया है)।

एफ.सी.आर.ए अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों को विदेशी कंपनियो (अथवा वो भारतीय कंपनिया जो विदेशों से नियंत्रित की जाती हैं) द्वारा योगदान स्वीकार करने की अनुमति नहीं है लेकिन भाजपा और कांग्रेस को मिले चंदे के विश्लेषण से यह पता चलता है कि उन्हें विदेशी स्रोतों से भी चंदा मिलता है। कांग्रेस और भाजपा द्वारा रू. 29.26 करोड़ से ऊपर की राशि विदेशी स्रोतों से मिली है।

INC – FY 2004-05 to 2011-12			BJP- FY 2004-05 to 2011-12	
S. No	Name	Total Donation	Name	Total Donation
1	Sterlite Industries India Ltd	**6,00,00,000**	Public & Political Awareness Trust	**14,50,00,000**
2	Sesa Goa Limited	**2,78,50,000**	Vedanta The Madras Aluminium Co Ltd	**3,50,00,000**
3	Solaries Holdings Ltd.	**1,00,00,000**	Sesa Goa Limited	**1,41,50,000**
4	Hyatt regency	**5,00,000**	Dow Chemical Int., P. Ltd.	**1,00,000**
Total		**Rs 9.835 crores**	Total	**Rs 19.425 crores**

केवल मज़बूत, पारदर्शी, आंतरिक रूप से लोकतंत्र और जवाबदेह राजनीतिक दलों के द्वारा ही देश में लोकतंत्र मज़बूत होगा और उसकी वजह से सुशासन संभव हो पाएगा। जवाबदेही बढ़ाने के लिए पारदर्शीता आवश्यक है और दोनों एक साथ सुशासन की सर्वोत्कृष्ट आधारशिला है। राजनीतिक दल सरकार बनाने में और नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और

*Supreme Court judgement - Common Cause Vs. Union of India [(1996.(2).SCC.752)]

इसलिए शासन संरचना का एक अभिन्न हिस्सा है। इसलिए राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता और खास करके वित्तीय पारदर्शिता सुशासन के लिए अत्यंत महत्व रखते हैं।

राजनीतिक सुधारों की ओर एकाग्रित प्रयास के तहत एडीआर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी और न्यायालय से चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के खर्चो को विनियमित करने की माँग की थी। चुनाव के दौरान दलों द्वारा एकत्रित धनराशि अज्ञात स्रोतों के आती है और उनके खर्चों पर कोई सीमा नहीं है। राजनीतिक दल चुनाव के दौरान मतदाताओं को धन बांटते हैं और अन्य भ्रष्ट आचरण में लिप्त होते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव हो, इसके लिए राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव खर्च पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए।

एडीआर ने कांग्रेस और भाजपा द्वारा प्राप्त विदेशी धन के मामले में भी दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी, खासकर वह धन जो वित्तीय वर्ष 2004–05 और 2011–12 के बीच वेदांता और उसकी सहयोगी कंपनियो की ओर से उन्हें मिला। उच्च न्यायालय ने दोनों राष्ट्रीय दलों को इस मामले में दोषी पाया। लेकिन कांग्रेस ने इस फैसले के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो सामने आते हैं:–

- क्या राजनीतिक दलों में वित्तीय पारदर्शिता के अभाव के कारण हमारे राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली में काले धन के प्रवाह को बढ़ावा मिल रहा है?
- राजनीतिक दलों में पारदर्शिता का अभाव, राजनीति में अपराधीकरण और काले धन का प्रवाह किस तरह सुशासन को प्रभावित कर रहा है?
- क्या राजनीतिक दलों की वित्तीय पारदर्शिता हमें सुशासन की दिशा में आगे ले जाने में मदद कर सकती है?
- कैसे हम राजनीति में पैसों के प्रवाह को पूर्णतः पारदर्शी बना सकते हैं?

29 अगस्त, 2014 को भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने हेतू राजनीतिक दलों को दिशा–निर्देश जारी किये थे। इस दिशा निर्देश के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार है–

- राजनीतिक दलों को अपने खातों और दस्तावेज़ों का रख रखाव इस प्रकार करना चाहिए ताकि उनके आय की गणना आसान हो जाए।
- रू. 20,000 से अधिक के खर्चों का भुगतान चेक, ड्राफट द्वारा ही किया जाए।
- उम्मीदवारों को प्रचार के दौरान एकमुश्त राशि देने के समय व्यय की निर्धारित सीमा का उल्लंघन न किया जाए और सारे भुगतान केवल चेक/ड्राफट या बैंक ट्रान्सफ़र द्वारा किए जाए।

राजनीतिक दलों में पारदर्शिता लाने की कोशिश में केन्द्रीय सूचना आयोग, 3 जून 2013 को 6 राष्ट्रीय दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में ले आया। लेकिन बीस महीनों के बाद भी इस आदेश का लागू ना होना पारदर्शिता की और राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाता है।

एडीआर यह उम्मीद करता है कि यह चर्चा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों को मंच प्रदान करेगा जिससे राजनीति में बढ़ते धन प्रवाह की जांच की जा सके।

*Supreme Court judgement - Common Cause Vs. Union of India [(1996.(2).SCC.752)]